बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-05/2019- 1017 /वि०स० । 08/04/19

प्रिय .....

षोडश बिहार विधान सभा का द्वादश सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 11 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 20 फरवरी, 2019 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । द्वादश सत्र में कुल सात (07) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के द्वादश सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि जनतंत्र में संप्रभुता आम जनता में निहित होती है । संसदीय प्रणाली में इस संप्रभुता का उपयोग चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के द्वारा किया जाता है । निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर सरकार का गठन होता है । भारतीय संविधान के मुताबिक सरकार इस सदन के प्रति जवाबदेह होती है । सामान्यतया पाँच साल के अन्तराल पर होने वाले चुनाव दर्शाते हैं कि राजनीतिक सत्ता का उद्‌गम आम जनता के बीच से है और सरकार को उसी के अनुरूप चलना चाहिए । भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता के निर्णय के अनुरूप सरकारें बनती हैं और जनतांत्रिक परम्परा के अनुसार हम सभी उस निर्णय को शिरोधार्य करते हैं ।

जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह सदन प्रजातंत्र का वह मंदिर है जिसमें जनकल्याणकारी विधियों एवं नीतियों का निर्माण होता है । इस परिप्रेक्ष्य में इस सदन में जितनी गंभीरता एवं संवेदनशीलता से जनसरोकारों पर विचार-विमर्श होगा उसी अनुपात में जनहित साधने में हम सफल होंगे । इसी प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र मजबूत और कारगर बनेगा ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सत्र के सफल संचालन में आप सबों का सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2019 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के महामहिम राज्यपाल, श्री लाल जी टंडन द्वारा विधान मंडल के सह-समवेत बैठक में दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को विस्तारित भवन के नव-निर्मित सेन्ट्रल हॉल में दिनांक 11 फरवरी, 2019 को सम्बोधित किया गया । श्री मेवालाल चौधरी, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री मिथिलेश तिवारी, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 12 एवं 13 फरवरी, 2019 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव पारित किया गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 11 फरवरी, 2019 को एकादश सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 2 (दो) विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

(1) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

(2) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018

निरर्हित

सभा सचिव द्वारा न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, पटना द्वारा विशेष वाद संख्या-145/2018 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री राजबल्लभ प्रसाद, स०वि०स०, क्षेत्र सं०-237, नवादा के विरूद्ध दोष सिद्धि एवं दंडादेश के परिणाम स्वरूप दिनांक 15.12.2018 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया ।

वित्तीय कार्य

दिनांक 12 फरवरी, 2019 को वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 15 फरवरी, 2019 को लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर सामान्य विमर्श एवं मतदान हुआ तथा इसे पारित किया गया । तदुपरान्त दिनांक 15 फरवरी, 2019 को बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 पारित हुआ ।

दिनांक 12 फरवरी, 2019 को ही वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया । दिनांक 14 फरवरी, 2019 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित परिवहन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2019 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् सभा मेज पर रखी गयी ।
3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
4. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए)(2) के तहत् बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
5. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत् बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
6. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा-18(6) के तहत् बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वर्ष 2015-16 का वार्षिक लेखा की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
7. ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना (वर्ष 2002-2006) में बरती गयी अनियमितता के फलस्वरूप सरकार को हुई वित्तीय क्षति के आकलन एवं जिम्मेवारी तय करने के लिए गठित न्यायिक जाँच आयोग का जाँच प्रतिवेदन तथा जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2019
2. बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019
3. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019
4. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2019
5. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019
6. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2019
7. बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) विधेयक, 2019
8. बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019
9. बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019

याचिका

इस सत्र में कुल 138 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 96 स्वीकृत हुए तथा 42 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 235 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 228 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 07 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 1192 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 971 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 10 अल्पसूचित, 850 तारांकित एवं 111 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 30 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 941 प्रश्न अनागत हुए । इन अनागत प्रश्नों में से 523 प्रश्नो के उत्तर ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 121 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 12 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 03 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 106 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 102 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 04 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 86 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 03 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये तथा 13 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय सीताराम सिंह, पूर्व सांसद
2. स्वर्गीय मौलाना असरारूल हक, पूर्व सांसद
3. स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद, पूर्व सांसद
4. स्वर्गीय रामश्रेष्ठ खिरहर, पूर्व सांसद

5. स्वर्गीय डॉ० सूरज नन्दन प्रसाद, पूर्व स०वि०प०
6. स्वर्गीय बसन्त सिंह, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय नरदेव प्रसाद, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय यूनुस लोहिया, पूर्व स०वि०प०
9. स्वर्गीय सच्चिदानन्द सिंह, पूर्व स०वि०स०
10. स्वर्गीय सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन, पूर्व स०वि०प०
11. स्वर्गीय राम बहादुर आजाद, पूर्व स०वि०स०
12. स्वर्गीय अनन्त प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०
13. स्वर्गीय जॉर्ज फर्नान्डीज, पूर्व सांसद
14. स्वर्गीय पीर मोहम्मद अंसारी, पूर्व स०वि०स०
15. स्वर्गीय विजय शंकर पाण्डेय, पूर्व स०वि०स०
16. स्वर्गीय गिरधारी राम, पूर्व स०वि०स०

इसके अतिरिक्त जम्मू-काश्मीर के पुलवामा में आतंकी घटना में शहीद सी०आर०पी०एफ० के जवानों के प्रति शोक प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 20 फरवरी, 2019 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

सेवा में,

.....

.....

.....

आपका विश्वासी

(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव, 29/03/2019
बिहार विधान सभा, पटना ।